संख्या-13/2016/964/22-2-2015-17(190)/2015

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2016

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध बन्दी दयाराम उर्फ बवाली पुत्र श्री चन्द्रबली निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42090/पर-3(एम-11-09-2015) दिनांक-23-09-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दयाराम उर्फ बवाली पुत्र श्री चन्द्रबली, निवासी ग्राम-हिशामुद्दीनपुर, थाना-जहांगीरगंज, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है। बन्दी झाडफूंक कर बेहोशी के रोग को ठीक करने के बहाने राम नारायण की पुत्री के साथ बलात्कार करता था। दिनांक 15-10-1992 को प्रात: 08 बजे से 09 बजे के मध्य छोटी पुत्री द्वारा आपत्ति जनक अवस्था में देख लिये जाने के कारण बन्दी ने गडासा से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-96/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 376 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 कोर्ट फैजाबाद द्वारा दिनांक 27-11-2001 को धारा-302 आजीवन कारावास एवं धारा-376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रि0अपील संख्या-87/2002 योजित की गयी। उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 14-11-2007 द्वारा बन्दी को धारा-302 में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया तथा धारा-376 में दोषमुक्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 15 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 08 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा, बन्दी को कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 27-09-2014 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी दयाराम उर्फ बवाली पुत्र श्री चन्द्रबली, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दयाराम उर्फ बवाली (बन्दी संख्या-41260) पुत्र श्री चन्द्रबली निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-964/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-964@22-2-2014-17(190)/2015
दिनांक 04 मार्च, 2016 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध दयाराम उर्फ बवाली (बन्दी संख्या-41260) पुत्र श्री चन्द्रबली, निवासी ग्राम-हिशामुद्दीनपुर, थाना-जहांगीरगंज, जनपद-अम्बेडकरनगर का निवासी है। बन्दी झाडफूंक कर बेहोशी के रोग को ठीक करने के बहाने राम नारायण की पुत्री के साथ बलात्कार करता था। दिनांक 15-10-1992 को प्रात: 08 बजे से 09 बजे के मध्य छोटी पुत्री द्वारा आपत्ति जनक अवस्था में देख लिये जाने के कारण बन्दी ने गडासा से मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-96/1992 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 376 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 कोर्ट फैजाबाद द्वारा दिनांक 27-11-2001 को धारा-302 आजीवन कारावास एवं धारा-376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रि0अपील संख्या-87/2002 योजित की गयी। उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 14-11-2007 द्वारा बन्दी को धारा-302 में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया तथा धारा-376 में दोषमुक्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25-08-2015 तक 15 वर्ष 01 माह 22 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 08 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा, बन्दी को कोई सहअभियुक्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 27-09-2014 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट अम्बेडकर नगर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी दयाराम उर्फ बवाली पुत्र श्री चन्द्रबली, निवासी जनपद-अम्बेडकरनगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in